

दिनांक :-08.01.2018

वकील उभय पक्ष उपस्थित। सुना गया। एस.डी.ओ कामां पीठासीन अधिकारी जगनलाल मीना के खिलाफ यह प्रकरण पेश किया गया है। श्री मीना का स्थानान्तरण हो जाने से यह प्रार्थना पत्र मुक्त प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर